


6.6.24

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथीमण उपस्थित
विपक्षीमण के सम्मन बाद वामिल लेटर प्राप्त
हुए जिसे शा० फ० लिखे गये। विपक्षीमण को कितनी
मर्तबा क्लक-क्लक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद
भी उपस्थित नहीं, इनके पिक्चर एक तरफ काटकर
लिखे जाने का आदेश दिया जा रहा है वकील प्राथीमण
का प्रा-पग स्वीकार किया जाकर लिखे हुए पत्र से
लिखा जाकर शा० फ० लिखा गया। पत्रावली के एक
शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
नांदेड जिला बीलगाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 130/23 प्रा पत्र

1- श्री श्यामलाल s/o श्री बैकलाल जाट निवासी-बावड़ी तहसील-माण्डल (कौश)

-प्राथ

बनाम

1- श्रीमती रामसुखी w/o श्री हरदेव जाट निवासी- बावड़ी तहसील-माण्डल (कौश)
(संबंधित प्रा पत्र संख्या)

-विपक्षी गण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06-06-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बावड़ी पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 1388/1086, 1083 कुल किता 0.2 रकब 07 बीघा 06 मिट्टा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16-06-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बावड़ी पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1388/1086, 1083 कुल किता 0.2 रकब 07 बीघा 06 मिट्टा स्थित भूमि के द्वांरों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सेना को 800 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में गौके व कच्चे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, भीलवाड़ा